

13. सेवापुस्त का अद्यतन सत्सापन सक्षम स्तर से हुआ है या नहीं-
14. आदेश सं० \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ एवं  
औपबंधिक रूप से वित्तीय उन्नयन प्रदान करने वाले  
पदाधिकारी का पदनाम.....
15. औपबंधिक रूप से वित्तीय उन्नयन देने में स्कीनिंग  
समिति की अनुमति प्राप्त की गई है या नहीं-
16. वित्तीय उन्नयन देते समय प्रोन्नति के लिए निर्धारित  
तमाम अर्हताओं का अनुपालन किया गया है या नहीं-
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....  
पदनाम..... दिनांक.....  
को प्रथम/द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लिए सर्वथा योग्य है तथा  
इनकी सेवापुस्त चरित्रपुस्त एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की सम्यक  
समीक्षा कर इन्हें वित्तीय उन्नयन सक्षम स्तर से प्रदान किया गया  
है ।

EO/-

संवर्ग नियंत्रण पदाधिकारी/  
वित्तीय उन्नयन देने हेतु सक्षम पदाधिकारी

EO/-

विभागीय सचिव